

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 6/2012 विस्फोटक अधिनियम 1884

अनवान : रुपचन्द बोथरा पुत्र श्री सुगनचन्द बोथरा प्रोपराइटर बोथरा एण्ड सन्स,
सुखलेचा कटला, बीकानेर ।

अपीलान्त

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, बीकानेर ।

अनुपस्थित:- श्री सुशील कुमार पारीक
उपस्थित श्री कमलजीतसिंह


अभिभाषक अपीलांत
सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर
राज्य पक्ष

----- रैस्पोंडेंट्स

निर्णय


दिनांक : 8.3.2019

1. यह अपील विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6 एफ एवं विस्फोटक नियम 2008 के नियम 121(1) के अन्तर्गत न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31-10-2012 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है, जिसके द्वारा अपीलांत का फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र संख्या 17/1984 निरस्त किया गया है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम से आतिशबाजी (पटाखे) क्रय एवं विक्रय के लिए फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र सं. 17/1984 जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर से जारी शुदा है। अपीलांत का फायर वर्क्स (पटाखे) विक्रय का अनुज्ञा पत्र दिनांक 31-3-2013 तक जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर से नवीनीकृत है। दिनांक 9-10-2012 को रात्रि फड़बाजार में पटाखों की दुकान में आग लगने की घटना को मध्यनजर रखते हुए बीकानेर जिले के सभी स्थाई अनुज्ञा पत्रों के निरीक्षण हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण दलों से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तंग गली, भारी भीड़ वाला क्षेत्र होने, फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचने आदि कारणों तथा प्रार्थी अपीलान्त द्वारा फायर वर्क्स एसोसियेशन की सहमति अनुसार अपनी पटाखों की दुकान अन्यत्र शिफ्ट करने की सहमति नहीं दिये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6 ई एवं विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.12 से अपीलार्थी का फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी


संभागीय आयुक्त
बीकानेर


द्वारा विस्फोटक अधिनियम की धारा 6 एफ के तहत यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। वरवक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में अपील मीमो का अवलोकन कर सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी।
4. अपील मीमो में मुख्य रूप से कथन है कि अपीलान्ट के पटाखों की दुकान सुखलेचा कटला कोटगेट के पास, बीकानेर में स्थित है। अपीलान्ट की दुकान के आगे काफी चौड़ा रास्ता है तथा भीड़ को नियंत्रित करने हेतु बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता हर समय मौजूद रहता है तथा फायर ब्रिगेड भी आसानी से पहुंच सकती है। अपीलान्ट के फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी करने के दिन जो परिस्थितियां थी वही परिस्थितियां आज भी मौजूद है। अपीलार्थी अनुज्ञा पत्र में अधिकृत क्षमता के अनुसार स्टॉक रखता था। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-10-2012 से अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया, जो कानूनन सही नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलांट का फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र संख्या 17/1984 कायम रखा जावे।
5. राज्य पक्ष की ओर से श्री कमलजीतसिंह सहायक लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण दल ने अपीलार्थी के सुखलेचा कटला, कोटगेट के पास, बीकानेर स्थित फायर वर्क्स दुकान का मौके पर निरीक्षण किया गया है, जहां जनरल सामान के साथ दीपावली के सीजन पर पटाखों की दुकान लगाई जाकर विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी की उक्त दुकान मुख्य बाजार में व भारी भीड़ वाले क्षेत्र में होने इत्यादि कारणों से तथा बीकानेर फायर वर्क्स एसोसियेशन के साथ बैठक दिनांक 25.10.12 को बनी सहमति के अनुसार अनुज्ञा पत्र की दुकान वर्तमान स्थान से नये स्थान पर शिफ्ट करने हेतु दिनांक 29.10.12 को सांय 5.00 बजे तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा लोक सुरक्षा एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.12 पारित कर अपीलान्ट का फायरवर्क्स अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।
6. उभय पक्ष की बहस की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलांट को नोटिस दिनांक 18-10-2012 जारी कर उसमें अनुज्ञा पत्र जिस स्थान पर दिया गया वह स्थान वर्तमान में घनी आबादी तथा अत्याधिक भीड़भाड़ वाला होने, निरीक्षण के समय मौके पर पर्याप्त फायर फाईटिंग के उपकरण नहीं पाये जाने, वक्त निरीक्षण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाये जाने तथा उक्त स्थान पर आगजनी या हादसा घटित हो


समानोय प्रमुक्त
बीकानेर

जाता है तो मौके पर शीघ्रता से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाने इत्यादि चार बिन्दुओं का विवरण देते हुए वर्तमान स्थान पर अनुज्ञा पत्र जारी रखना उचित प्रतीत नहीं होता है, का उल्लेख करते हुए 3 दिवस में अपीलान्ट से प्रत्युत्तर चाहा गया। जिसका प्रत्युत्तर अपीलांट द्वारा दिनांक 23-10-2012 को प्रस्तुत किया गया परन्तु अपने जवाब में स्थान परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं किया। तत्पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा फायर वर्क्स एसोसियेशन के साथ दिनांक 25.10.2012 को एक मीटिंग की गयी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच यह सहमति बनी थी कि जो दुकान अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्थान पर है तथा जहां पर फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस मौके पर आशानी से नहीं पहुंच सकती है, ऐसे क्षेत्र में स्थित अनुज्ञा पत्रों को वर्तमान स्थान से नये स्थान पर शिफ्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.12 को सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। परन्तु उक्त निर्णयानुसार अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञा पत्र के स्थान परिवर्तन के संबंध में दिनांक 29-10-2012 तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण लोक सुरक्षा तथा जनहित को मध्यनजर रखते हुए वर्तमान परिस्थिति एवं वर्तमान स्थान पर फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र सं. 17/1984 को जारी रखना उचित नहीं समझते हुए जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6 ई एवं विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 के तहत अपीलांट का उक्त फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2012 द्वारा निरस्त किया गया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट के फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र की दुकान बीकानेर के मुख्य बाजार कोटगेट पास सुखलेचा कटला में स्थित है, जो अत्यधिक भीड़भाड़ का क्षेत्र है, जहां फायर ब्रिगेड आशानी से नहीं पहुंच सकती है। अपीलान्ट द्वारा पर्याप्त समयावधि में स्थान परिवर्तन का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का आदेश दिनांक 31.10.12 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 8.3.2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त,
बीकानेर